—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0—49/2019 (जीसीएमएस नं0 2019/00071)

उनवान —सरकार बनाम

1. संजय अग्रवाल पुत्र श्री मिठ्ठन लाल अग्रवाल, उम्र 42 वर्ष, जाति वैश्य, निवासी कसाईपाडा पुराना शहर धौलपुर।
2. मित्तल डिस्ट्री सराय गजरा धौलपुर
3. मैसर्स महक मलकोज जयपर बी—35, न्यू राजधानी, कृषि मंडी, कुकर्खेवा सिकर रोड जयपुर।
4. उमंग डेयरी लि0 के एम स्टोम, हसनपुर रोड गजरौला जिला, अमरोहा उ0प्र0 244235
5. सुरेन्द्र जखोरिया,नोमिनी उमंग डेयरी लि0।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक —29.05.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त 1. संजय अग्रवाल पुत्र श्री मिठ्ठन लाल अग्रवाल, उम्र 42 वर्ष, जाति वैश्य, निवासी कसाईपाडा पुराना शहर धौलपुर 2. मित्तल डिस्ट्री सराय गजरा धौलपुर 3.मैसर्स महक मलकोज जयपर बी—35, न्यू राजधानी, कृषि मंडी, कुकर्खेवा सिकर रोड जयपुर 4. उमंग डेयरी लि0 के एम स्टोम, हसनपुर रोड गजरौला जिला, अमरोहा उ0प्र0 244235 5. सुरेन्द्र जखोरिया,नोमिनी उमंग डेयरी लि0 के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.08.2016 को अभियुक्त/अप्रार्थीगण के दुकान मैसर्सः— मित्तल डिस्ट्री सराय गजरा धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में लगभग घी (उमंग) 500—500 एमएल के 160 पेकेट घी 5 कार्टून में आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त में मिलावट का शक होने पर उक्त घी (उमंग) के 500—500 एमएल के 4 पेकेट को वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त घी (उमंग) नमूना डी—1123 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जॉच रिपोर्ट एलएस/792/एक्ट/2016/799 दिनांक 02.09.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया घी (उमंग) मिसब्रांण्ड (Misbranded) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री कुशमाकर गर्ग, अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण अभिभाषक को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया । जबाब पेश किया। बहस की गई । अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस के दौरान अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त घी (उमंग) मिसब्रांण्ड (Misbranded) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण घी (उमंग) मिसब्रांण्ड (Misbranded) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 49/2019 सरकार बनाम संजय अग्रवाल वगैरा

(2)

अतः श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री मिठ्ठन लाल अग्रवाल, उम्र 42 वर्ष, जाति वैश्य, निवासी कसाईपाडा पुराना शहर धौलपुर , मित्तल डिस्ट्री सराय गजरा धौलपुर , मैसर्स महक मलकोज जयपर बी–35 न्यू राजधानी, कृषि मंडी, कुकरखेडा सिकर रोड जयपुर , उमंग डेयरी लि0 के एम स्टोम, हसनपुर रोड गजरौला जिला, अमरोहा उ0प्र0 244235 एवं सुरेन्द्र जखोरिया,नोमिनी उमंग डेयरी लि0पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 51,000/–रुपये (इक्यावन हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्टैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)